निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
47/2022	14/11/2022	28.01.26

1. रामस्वरुप पुत्र रामनारायण जाति खटीक निवासी खेडा वाढरामगढ हालवासी आई सैकिण्ड 157 मदनगिर नई दिल्ली-62 --वादी--

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
2. धनश्याम पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा।
4. रामपति बेवा प्रताप जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा
5. चिरंजी पुत्र मंगडया जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा
6. कान्ता पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा
7. कौशल्या पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडावाढरामगढ, तहसील तलावडा
8. बीना पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडावाढरामगढ, तहसील तलावडा।
9. मनभर पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा
10. संतोष पुत्री किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ, तहसील तलावडा
11. प्रकाश पुत्र किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ हाल आई सैकिण्ड 55 मदनगीर नई दिल्ली-62
12. मोहन पुत्र किशन जाति खटीक निवासी खेडाबाढरामगढ हाल आई सैकिण्ड 55 मदनगीर नई दिल्ली-62
13. सूरजमल पुत्र नाथ्या जाति खटीक हालवासी बी- 541 नई दिल्ली।
14. प्रहलाद सिंह पुत्र नाथ्या जाति खटीक हालवासी बी- 559 नई दिल्ली।
15. लैण्होल्डर जरिये तहसीलदार तलावडा। --प्रतिवादीगण--

दावा बावत विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः-1. अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा, वादी की ओर से।

2. अधिवक्ता श्री रविशंकर शर्मा, प्रतिवादी सं0 1 ता 14 की ओर से।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय

यह दावा बावत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादी की ओर से इस आशंय का पेश किया गया है कि आराजी हाल ख0नं0 1571 रकबा 1.60 है0 एवं ख0नं0 1574/1837 रकबा 0.24 है0 कुला किता 2 कुल रकबा 1.84 है0 वाके ग्राम रामगढ मुराढा तहसील तलावडा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिससे पक्षकारान मौके पर संयुक्त रुप से काबिज काश्त रहकर भूमि से हिस्से अनुसार लाभान्वित होते चले आ रहे। विवादित भूमि में वादी का हिस्सा 1/5 है। एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्ये का 1/20 – 1/20 हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 ता 12 प्रत्येक का 1/35 – 1/35 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0 13 व 14 का 1/10 – 1/10 हिस्सा है। विवादित भूमि को पक्षकारान संयुक्त रुप से काश्त कर उसमें पैदा होने वाली उपज को अपने अपने हिस्से अनुसार बांटते चले आ रहे है तथा इसी अनुसार भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे है परन्तु पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन बदनियति पैदा हो गयी तथा प्रतिवादीगण ने भूमि में वादी के हिस्से के अनुसार फसल देने में आनाकानी करना प्रारम्भ कर दिया। इसका कारण दिनांक 16.10.2022 को जब वादी ने प्रतिवादीगण से पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अब भूमि को हम शामलाती में काश्त नही करेंगें तथा न ही भूमि में से कोई हिस्सा देंगे, यदि तुम्हे भूमि काश्त करनी है तो तुम भूमि का विभाजन करा सकते हो। इस पर वादी ने तहसील चलकर भूमि का विभाजन सहमति से कराने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण ने मना कर दिया अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करे। बिना विभाजन के भूमि का रहन वय नही करे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपने जबाब में वाद पत्र में वर्णित भूमि का राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नही है। उक्त के संबंध में उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया है

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि ख0नं0 1571 रकबा 1.60 है0 1574 / 1837 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम रामगढ मुराडा तहसील तलावडा का विभाजन राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी के हिस्सा 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 5 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 ता 12 का संयुक्त रुप से 1/5 तथा प्रतिवादी सं0 13 व 14 का संयुक्त रुप से 1/ 5 हिस्से का खाता पृथक से दर्ज किया जावे। विवादित भूमि का उपरोक्त अनुसार विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स व कब्जे अनुसार किया जाकर पक्षकारान के खाते पृथक से दर्ज किये जावे।

वादी ने आपने वाद पत्र के समर्थन ने दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2071-2074 खाता सं0 144 पेश की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया तहसीलदार तलावडा से दिनांक 17/10/2025 को विभाजन स्कीम निम्नानुसार प्राप्त हुई।

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण खसरा नम्बर 1571/1 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/1 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
2. चिरंजी पुत्र मंगडया खसरा नम्बर 1571/2 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/2 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
3. प्रकाश, मोहनसिंह पुत्र किशन खसरा नम्बर 1571/3 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/3 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
4. प्रहलादसिंह, सुरजमल पुत्र नाथ्या खसरा नम्बर 1571/4 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/4 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।
5. ओमप्रकाश, घनश्याम, राजेन्द्र पुत्र प्रताप, रामपति पत्नि स्व0 प्रताप खसरा नम्बर 1571/5 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/5 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं उभय पक्षकारान विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिये वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अत: वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि:-

1. रामस्वरूप पुत्र रामनारायण खसरा नम्बर 1571/1 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/1 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
2. चिरंजी पुत्र मंगडया खसरा नम्बर 1571/2 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/2 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
3. प्रकाश, मोहनसिंह पुत्र किशन खसरा नम्बर 1571/3 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/3 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
4. प्रहलादसिंह, सुरजमल पुत्र नाथ्या खसरा नम्बर 1571/4 रकबा 0.32 है0 बारानी 3, 1574/1837/4 रकबा 0.0480 है0 बारानी 3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3680 है0 हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 खातेदार खेडाबाढ रामगढ दर्ज की जावे।
5. ओमप्रकाश, घनश्याम, राजेन्द्र पुत्र प्रताप, रामपति पत्नि स्व0 प्रताप खसरा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible]

[illegible]

[illegible]